भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1496

उत्तर देने की तारीख 31 **जुलाई,** 2024

मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी

1496. **श्री अभिषेक बनर्जी:**
श्रीमती लवली आनंद:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं को जियो, एयरटेल और वोडाफोन की मोबाइल दरों में लगभग 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 90 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता इन तीन कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं और इस प्रकार आम आदमी इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निर्धारित नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उक्त बढ़ोतरी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ट्राई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सक्षम नहीं है;

(ङ) क्या बीएसएनएल को मजबूत किया गया होता तो आम नागरिक को आज अचानक पड़ने वाले ऐसे अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सकता था;

(च) क्या सरकार का उद्देश्य मोबाइल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाए रखना है ताकि देश के नागरिक लाभान्वित हो सकें या निजी कंपनियों को उनका एकाधिकार बनाए रखने देना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा टैरिफ दरों में उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) हाल ही में 03 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं नामतः मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल), मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) और मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) द्वारा टैरिफ में वृद्धि की गई है।

(ख) जी हां, 90 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता तीन कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ विनियमन हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण है। मौजूदा विनियामक टैरिफ प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फोरबियरेंस के अधीन है। तथापि नेशनल रोमिंग, ग्रामीण फिक्सड लाइन सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रभार और लीज्ड सर्किट आदि जैसी सेवाओं के लिए टैरिफ का विनियमन ट्राई द्वारा किया जाता है। ग्रामीण बैंकिंग सेवा से वंचित फीचर फोन प्रयोक्ताओं में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी सेवाओं के लिए कोई टैरिफ नहीं लिया जाता है।

(ङ) बीएसएनएल 7.90% बाजार हिस्सेदारी के साथ पहले से ही मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(च) और (छ) वर्ष 2004 में दूरसंचार सेवा बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का निर्धारण करने के बाद ट्राई ने मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ फोरबियरेंस की नीति अपनाई जो विश्व के कई अन्य देशों के अनुरूप है। दूरसंचार सेवा प्रदाता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बाजार में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) की अपेक्षाओं के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बाजार में अपने टैरिफों की शुरुआत के 7 दिनों के भीतर ट्राई को उनके बारे में सूचना देना अनिवार्य है। तत्पश्चात् इन टैरिफों की विनियामक सिद्धांतों के अनुपालन के लिए जांच की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता, नॉन-प्रीडेशन और गैर-भेदभाव के सिद्धांत शामिल हैं। यह नोट किया जाए कि बाजार में अभी भी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और कम से कम 4 सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक प्लान पेश कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय दूरसंचार टैरिफ पूरे विश्व में और भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में भी सबसे कम हैं।
